पत्रावली पेश हुई । उभयपक्ष के अभिभाषकगण उपस्थित । बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । वकील अपीलांट का कथन है कि अधी0न्याया0 के समक्ष वादिया/अपीलांट द्वारा विवादित भूमि के संदर्भ में राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53, 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 का प्रस्तुत किया । दौराने वाद प्रतिवादी संख्या 12 जसवंतसिंह तथा प्रतिवादी संख्या 22 लालसिंह का स्वर्गवास हो गया था । अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट द्वारा दिनांक 15.5.2013 को ही प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 जा0दी0 पेश कर कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 12 जसवंत सिंह नाऔलाद फौत हो चुका है जिसका नाम तर्क किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 22 लालसिंह के वारिसान को रिकार्ड पर लिया जावे परन्तु अधी0न्याया0 द्वारा बंटवारे के वाद को अदम तकमील में गलत रूप से खारिज कर दिया जबकि बंटवारा का वाद उपशमित नहीं होता है । अतः अपील स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 12 जसवंत सिंह का नाम वादपत्र में तर्क करने के आदेश एवं प्रतिवादी संख्या 22 लालसिंह के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश प्रदान करावे ।

जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि वादी/अपीलांट को अधी0न्याया0 द्वारा प्रतिवादी संख्या 12 व 22 के कायम मुकाम की कार्यवाही हेतु कई अवसर दिये गये एवं आदेश की पालना नहीं किये जाने पर अधी0न्याया0 द्वारा सही तौर से वाद को खारिज किया है । अतः अपील खाजिर की जावे ।

हमनें उभयपक्ष अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । यह स्वीकृत तथ्य है कि वादिया/अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष वाद बाबत् बंटवारा पेश किया गया जो कि विधि अनुसार उपशमित नहीं होता है परन्तु वादिया को मृतक के कायम मुकाम की कार्यवाही करनी चाहिये । अपीलांट द्वारा दिनांक 15.5.2013 को प्रार्थना पत्र बाबत् प्रतिवादी संख्या 12 जसवंत नाऔलाद फौत होने से नाम तर्क करने तथा प्रतिवादी संख्या 22 लालसिंह के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 जा0दी0 पेश कर दिया गया है। अधी0न्याया0 को तकनीकी बिन्दू पर वाद खारिज न कर गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये । हम विद्वान वकील अपीलांट के इस कथन से भी सहमत है कि बंटवारे का वाद उपशमित नहीं हो सकता है । अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांट का वाद खारिज करने में विधिक त्रुटि कारित की है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट 1000/—रू0 की कोस्ट पर आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 15.5.2013 खारिज योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है ।

अतः अपील अपीलांटस 1000/—रू0 की कोस्ट पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.5.2013 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 12 जसवंत के नाऔलाद फौत से प्रतिवादी संख्या 12 का नाम तर्क कर तथा प्रतिवादी संख्या 22 लालसिंह के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर

लेकर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

आदेश दिनांक 22.4.2019 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरडा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर